शीर्ष प्राथमिकता/तत्काल

आदेश

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग–5, लखनऊ के पत्र संख्या–581/पॉच–5/2020 दिनांक 17.03.2020 के कम में कोविड–19 के प्रसार की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु चिकित्सा शिक्षा को छोड़कर उ0प्र0 सरकार के अन्तर्गत आने वाले सभी विश्वविद्यालयों/बोर्डों/संस्थानों की परीक्षाएं एवं समस्त प्रतियोगी परीक्षाएं दिनांक 02.04.2020 तक स्थगित करते हुए सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान, जिम, म्यूजियम, पर्यटन स्थल, सांस्कृतिक एवं सामाजिक केन्द्र, स्वीमिंग पूल एवं सिनेमाघरों को दिनांक 02.04.2020 तक के लिये बन्द किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के कम में कोविड–19/कोरोना वायरस के बचाव एवं नियन्त्रण हेतु जनपद बरेली में सभी शैक्षणिक संस्थानों को दिनांक 02.04.2020 तक बन्द किये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं जनपद में स्थापित समस्त स्विमिंग पूल (तरणताल) को जो मुख्यतः विद्यालयों/हास्टल्स/होटल्स/ग्रुप हाऊसिंग सोसाईटी/अन्य स्थानों पर संचालित है, को एवं जनपद के सिनेमाघर/मल्टीप्लेक्स, क्लबों तथा जिम/व्यायामशालाओं को किसी भी प्रकार से सार्वजनिक/निजी उपयोग के लिये दिनांक 02 अप्रैल, 2020 तक पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित किया जाता है। साथ ही जनसामान्य से यह अपील की जाती है, कि वे ऐसे आयोजन/सार्वजनिक स्थल जहाँ बहुत भीड़–भाड़ रहती है, वहाँ जाने से बचें एवं बस, ट्रेन एवं वायुयान जैसे सार्वजनिक परिवहन में लोगों से पर्याप्त दूरी रखें।

इसका उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता (अधिनियम सं0–45 सन् 1860) की धारा 188 के अधीन दण्डनीय होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(नितीश कुमार)
जिला मजिस्ट्रेट
बरेली।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, बरेली।

संख्या– 738 /सत्रह–यू0आई0(2015–20)जे0ए0–3

दिनांक 18 मार्च ,2020

प्रतिलिपि:– निम्नांकित की सेवा में अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– अपर मुख्य सचिव, गृह, उ0प्र0शासन लखनऊ।
2– प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
3– पुलिस महा निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
4– अपर पुलिस महानिदेशक, बरेली जोन, बरेली।
5– पुलिस उप महानिरीक्षक, बरेली परिक्षेत्र, बरेली।

Medical-199